25.11.25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक 4753 दिनांक 24.10.25 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया, शामिल रहे। परिवादीगण के प्रा. पत्र प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव अनुसार पारित डिक्री का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी आपत्ति नहीं की है। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विभाजन डिक्री [illegible] कि नियमानुसार जारी। डिक्री जारी हो। नक्शा से पत्र-हो।

डिक्री नियमानुसार जारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2020/00412

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

सन्तोष आदि बनाम मोहम्मद ईशाक व अन्य

किस्म मुकदमा:–53 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:– 199/2020
GCMS :- 2020/00412

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25.11.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गई एवं अन्य खातेदार पक्षकारान द्वारा भी उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन पत्र का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव मौका रिपोर्ट के समय सभी पक्षकारो की उपस्थिति दर्ज है। किसी प्रकार का विवाद प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए वादपत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। अतः वाद पत्र में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि चक 17 एल.के.एस. जमाबंदी 2075 से 78 के खाता संख्या 84 की कुल 11.510 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. **सन्तोष पत्नी मनीराम** जाति जाट साकिन फरसेवाला एवं **उज्जवल धतरवाल पुत्र सुचित कुमार** जाति जाट साकिन फरसेवाला की भूमि= **प0 नं0 40/286** किला नं0 1 में 0.044 है0 दक्षिणी पासा, 6 में 0.095 है0 दक्षिणी पासा, 7 ता 9/0.759 है0, 10 में 0.139 है0, 11 में 0.139 है0, 12 ता 19/2.024 है0, 20 में 0.139 है0, 21 में 0.139 है0, 22 ता 25/1.012 है0 **कुल 4.490 है0 नहरी।**
2. **मोहम्मद ईशाक पुत्र काबलदीन** जाति मुसलमान साकिन भगवानगढ हाल ढाबां की भूमि= **प0 नं0 40/286** किला नं0 1 में 0.095 है0 उतरादा पासा, 2 ता 5/1.012 है0, 6 में 0.158 है0 उतरादा पासा **कुल 1.265 है0 नहरी। नोटः– प0 नं0** 40/286 के किला नं0 1 में 0.010 है0 तथा किला नं0 2 ता 5 प्रत्येक में 0.019 है0 मौके पर पक्की सड़क चालू है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है।
3. **आत्मा सिंह पुत्र बोगा सिंह** जाति जटसिख साकिन भगवानगढ की भूमि= **प0 नं0 41/286** किला नं0 1 ता 4/1.012 है0 नहरी, 5/1 में 0.114 है0 नहरी, किला नं0 5/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**
4. **सुखपाल सिंह पुत्र बोगा सिंह** जाति जटसिख साकिन भगवानगढ की भूमि = प0 नं0 41/286 किला नं0 16/1 में 0.114 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 खाला, 17 ता 20/1.012 है0 नहरी कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।
5. **गीता देवी पत्नी मदनलाल** जाति कुम्हार निवासी 1 के.एस.आर.–ए तहसील सूरतगढ़ की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला नं0 21 ता 24/1.012 है0 नहरी, 25/1 में 0.114 है0 नहरी, 25/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**
6. **विकास कुमार पुत्र महेन्द्र** कुमार जाति जाट साकिन वार्ड नं0 05 बींझबायला तहसील पदमपुर एवं **संदीप कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार** एवं **सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल** जाति जाट साकिन वार्ड नं0 05 बींझबायला तहसील पदमपुर की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला नं0 6/1 में 0.114 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7 ता 10/1.012 है0 नहरी **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**
7. **करनीस पुत्र नुतनप्रकाश** जाति सुथार साकिन फतुही तहसील श्रीगंगानगर एवं **कुलकर्णी पुत्र नुतन प्रकाश** जाति सुथार साकिन शिवपुरी तहसील श्रीगंगागनर की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला [illegible] में 0.114 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0** [illegible]ला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार [illegible] किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम हो। [illegible] के हिस्सा मुताबिक यथावत् रहेगा। परचा डिक्री जारी [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. सन्तोष पत्नि मनीराम जाति जाट साकिन फरसेवाला हाल चक 17 एल.के.एस. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सुचित कुमार पुत्र मनीराम जाति जाअ साकिन फरसेवाला हाल चक 17 एल.के.एस. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. हरफूल पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन 11 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मोहम्मद ईशाक पुत्र काबलदीन कौम मुसलमान साकिन ढ़ाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. आत्मा सिंह } पिसरान बोगा सिंह जाति जटसिख साकिन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. कर्म सिंह }
4. एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा ढ़ाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुखपाल सिंह } पुत्रगण बौगा सिंह जाति जटसिख साकिन भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. धर्म सिंह }
7. छिन्द्रपाल सिंह }
8. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा 25 एल.जी.डब्लयू. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ स्टेट बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
10. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 192 वर्ष 2020 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री बलदेव बिश्नोई, वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री अजय कुमार अरोड़ा व वकील प्रतिवादी सं. 2–4 श्री विनोद बिश्नोई तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वादग्रस्त भूमि चक 17 एल.के.एस. जमाबंदी 2075 से 78 के खाता संख्या 84 की कुल 11.510 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. **सन्तोष पत्नी मनीराम** जाति जाट साकिन फरसेवाला एवं **उज्जवल धतरवाल पुत्र सुचित कुमार** जाति जाट साकिन फरसेवाला की भूमि= **प0 नं0 40/286** किला नं0 1 में 0.044 है0 दक्षिणी पासा, 6 में 0.095 है0 दक्षिणी पासा, 7 ता 9/0.759 है0, 10 में 0.139 है0, 11 में 0.139 है0, 12 ता 19/2.024 है0, 20 में 0.139 है0, 21 में 0.139 है0, 22 ता 25/1.012 है0 **कुल 4.490 है0 नहरी।**

2. **मोहम्मद ईशाक पुत्र काबलदीन** [illegible] हाल ढाबां की भूमि= **प0 नं0 40/286** किला नं0 1 में 0.095 है0 उतरादा पासा, [illegible].012 है0, 6 में 0.158 है0 उतरादा पासा **कुल 1.265 है0 नहरी। नोटः**– [illegible] 1 में 0.010 है0 तथा किला नं0 2 ता 5 प्रत्येक में 0.019 है0 मौके [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है।

3. **आत्मा सिंह पुत्र बोगा सिंह** जाति [illegible] **प0 नं0 41/286** किला नं0 1 ता 4/1.012 है0 नहरी, 5/[illegible] नं0 5/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**

4. **सुखपाल सिंह पुत्र बोगा सिंह** जाति जटसिख साकिन भगवानगढ की भूमि = प0 नं0 41/286 किला नं0 16/1 में 0.114 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 खाला, 17 ता 20/1.012 है0 नहरी कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

5. गीता देवी पत्नी मदनलाल जाति उपखण्ड अधिकारी कुम्हार निवासी 1 के.एस.आर.–ए तहसील सूरतगढ़ की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला नं0 21 ता 24/1.012 है0 नहरी, 25/1 में 0.114 है0 नहरी, 25/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**
6. विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन वार्ड नं0 05 बींझबायला तहसील पदमपुर एवं **संदीप कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार** एवं **सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल** जाति जाट साकिन वार्ड नं0 05 बींझबायला तहसील पदमपुर की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला नं0 6/1 में 0.114 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7 ता 10/1.012 है0 नहरी **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**
7. करनीस पुत्र नुतनप्रकाश जाति सुथार साकिन फतुही तहसील श्रीगंगानगर एवं **कुलकर्णी पुत्र नुतन प्रकाश** जाति सुथार साकिन शिवपुरी तहसील श्रीगंगागनर की भूमि = **प0 नं0 41/286** किला नं0 11 ता 14/1.012 है0, 15/1 में 0.114 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 खाला **कुल 1.151 है0 नहरी मय खाला।**

राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम हो। रहन का नोट पक्षकारों के हिस्सा मुताबिक यथावत् रहेगा।

नोज --------x------- मुबलिग --------x-------बाबत~--------x-------खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह --------x------- फस्दों की पालना --------x------- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.11.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested